न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

करण संख्या– 12/08/2025

सीएमएस– 2025/276

यर दिनांक– 06/06/2023

र्णय दिनांक– 31/10/2025

जग्गो पुत्र श्री गिर्राज जाति जाटव निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर ।

......अपीलाण्ट

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत कठूमर पंचायत संमिति कठूमर जिला अलवर।
बबूलाल पुत्र गिर्राज जाति जाटव निवासी कठूमर
प्रकाश पुत्री श्री गिर्राज जाति जाटव निवासी कठूमर हालवासी सेवर जिला भरतपुर
भगवानदेई पत्नि रामस्वरूप जाति जाटव निवासी कठूमर
संजय पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी कठूमर
राजू पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी कठूमर

..... असल रेस्पोडेंण्ट

नेपाली पुत्र रामप्रसाद नवासा गिर्राज जाति जाटव निवासी सेवर जिला भरतपुर।

.......तर0 रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.12.2018 विरासत इन्तकाल संख्या 4923 ग्राम कठूमर ग्राम पंचायत कठूमर अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री सुभाषचन्द अरूंवा अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. राधावल्लभ शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1
3. रूपकिशोर शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 7

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1206, 599, वाके ग्राम कठूमर ग्राम पंचायत कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है,जो अपीलान्ट मुताविक जमावन्दी अपीलाण्ट के हिस्से की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है अपीलाण्ट व रेस्पो0 संख्या 2 ला0 6 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है गिर्राज व उसकी पत्नि चिरोंजा का स्वर्गवास हो चुका है। गिर्राज के तीन पुत्र वाबूलाल, जग्गो व रामस्वरूप व दो पुत्री प्रेम व प्रकाशी पैदा हये। प्रेम फौत हो गयी जिसके दो पुत्र छंगा व नेपाली पैदा हुये जिनमें से छंगा लावल्द फौत हो चुका है। रामस्वरूप फौत हो गया जिसके दो पुत्र संजय व राजू तथा पत्नि

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

गवानदेई है। इस प्रकार गिर्राज के वारिस अपीलाण्ट पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व3 पुत्र पी व मृतक पुत्र रामस्वरूप के वारिस रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ला0 6 तथा मृतक पुत्री प्रेम पुत्र नेपाली तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 है जो मृतक गिर्राज के कानूनी वारिस काबिज ायदाद है आराजी खसरा नम्बर रकबा 1.08 है0 ग्राम कठूमर में स्थित है उक्त आराजी पीलाण्ट के पिता गिर्राज की खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी थी। गिर्राज के फौत हो जाने पर उक्त आराजी का 1/5 हिस्सा अपीलाण्ट 1/5 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 2, 1/5 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 3, 1/5 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 4 ला0 6 तथा 1/5 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 7 को विरासत में प्राप्त हुई है। कानूनन मृतक खातेदार की खातेदारी की खातेदारी आराजी में उसके प्रत्येक पुत्र पुत्री व मृतक पुत्र पुत्री के वारिसान को समान हिस्सा विरासत में मिलता है अपीलाण्ट गिर्राज का वारिस पुत्र है जो उक्त अराजी के अपने 1/5 हिस्सा की अराजी पर आज भी काबिज रहकर काश्त कर रहा है। अपीलाण्ट के फौत हो जाने पर उसका विरासत इंतकाल संख्या 4923 वाके ग्राम कठूमर पटवारी हल्का ने रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के नाम 2/3 हिस्सा व रेस्पो0 संख्या 4 ला0 6 के पिता रामस्वरूप के नाम 1/3 हिस्सा अपीलाण्ट को बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से इन्तकाल संख्या 4923 वाके ग्राम कठूमर तस्दीक किया है, जबकि मृतक अपीलाण्ट गिर्राज का सगा पुत्र व रेस्पो0 संख्या 7 मृतक पुत्री प्रेम का सगा पुत्र व गिर्राज का नवासा है जो सभी मृतक गिर्राज के वारिस व एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। इन्तकाल संख्या 4823 गलत गैरकानूनी है। रेस्पो0 को मृतक पिता गिर्राज का विरासत इन्तकाल सभी वारिसान की जॉच कर अपीलाण्ट के नाम 1/5 हिस्सा व तरतीवह रेस्पो0 संख्या 7 नेपाली की मां मृतक प्रेम के नाम 1/5 हिस्सा का दर्ज करना था। जिस गलत इंतकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जॉच किये बिना इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने सरपंच ग्राम पंचायत कठूमर के समक्ष बास्ते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट के वारिसानो की सही जॉच किये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलाण्ट व मृतक पुत्री प्रेम के वारिसान पुत्र नेपाली का नाम छोड कर भारी कानूनी भूल की है। जो विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 4923 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.06.2023 को पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड की फाईल बनवाये जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 4923 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 06.06.2023 से दिनांक 20.12.2018तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 4923 दिनांक 20.12.2018 वाके कठूमर ग्राम पंचायत कठूमर तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 4923 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.06.2023 को पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड बनवाने पटवारी हल्का के हस्ताक्षर कराने गया तब पटवारी हल्का ने राजस्व रेकॉर्ड देखने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 4923 की

उपखण्ड अधिकारी

कल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट दिनांक 06.10.2023 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से राधावल्लभ शर्मा व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लाo 7 की ओर से रूपाकिशोर शर्मा उपस्थित आये। अपीलाण्टस के द्वारा अपने पत्रावली के साथ नकल इन्तकाल संख्या 4923 वाके ग्राम कठूमर व फोटो प्रति बयनामा एवं जमाबन्दी संवत 2070–73 की पेश किये है जो शामिल पत्रावली किये गये है।

अपीलाण्टस व रेस्पोडेण्ट अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमे उक्त इन्तकाल संख्या 4923 के बारे में जानकारी दिनांक 20.12.2018को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 4923 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया अपीलाण्ट व रेस्पो0 संख्या 2 ला0 6 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है गिर्राज व उसकी पत्नि चिरोंजा का स्वर्गवास हो चुका है। गिर्राज के तीन पुत्र बाबूलाल, जग्गो व रामस्वरूप व दो पुत्री प्रेम व प्रकाशी पैदा हये। प्रेम फौत हो गयी जिसके दो पुत्र छंगा व नेपाली पैदा हुये जिनमें से छंगा लावल्द फौत हो चुका है। रामस्वरूप फौत हो गया जिसके दो पुत्र संजय व राजू तथा पत्नि भगवानदेई है। इस प्रकार गिर्राज के वारिस अपीलाण्ट पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व3 पुत्र पुत्री व मृतक पुत्र रामस्वरूप के वारिस रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ला0 6 तथा मृतक पुत्री प्रेम का पुत्र नेपाली तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 है जो मृतक गिर्राज के कानूनी वारिस काविज जायदाद है आराजी खसरा नम्बर रकबा 1.08 है0 ग्राम कठूमर में स्थित है उक्त आराजी अपीलाण्ट के पिता गिर्राज की खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी थी। गिर्राज के फौत हो जाने पर उक्त आराजी का 1/5 हिस्सा अपीलाण्ट 1/5 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 2, 1/5 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 3, 1/5 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 4 ला0 6 तथा 1/5 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 7 को विरासत में प्राप्त हुई है। कानूनन मृतक खातेदार की खातेदारी की खातेदारी आराजी में उसके प्रत्येक पुत्र पुत्री व मृतक पुत्र पुत्री के वारिसान को समान हिस्सा विरासत में मिलता है अपीलाण्ट गिर्राज का वारिस पुत्र है जो उक्त अराजी के अपने 1/5 हिस्सा की अराजी पर आज भी काविज रहकर काश्त कर रहा है। अपीलाण्ट के फौत हो जाने पर उसका विरासत इंतकाल संख्या 4923 वाके ग्राम कठूमर पटवारी हल्का ने रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के नाम 2/3 हिस्सा व रेस्पो0 संख्या 4 ला0 6 के पिता रामस्वरूप के नाम 1/3 हिस्सा अपीलाण्ट को बिना ही विना अपीलाण्ट को विना बुलाये विना सुने विधि विरूद्ध तरीके से इन्तकाल संख्या 4923 वाके ग्राम कठूमर तस्दीक किया है, जबकि मृतक अपीलाण्ट गिर्राज का सगा पुत्र व रेस्पो0 संख्या 7 मृतक पुत्री प्रेम का सगा पुत्र व गिर्राज का नवासा है जो सभी मृतक गिर्राज के वारिस व एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। इन्तकाल संख्या 4823 गलत गैरकानूनी है। रेस्पो0 को मृतक पिता गिर्राज का विरासत इन्तकाल सभी वारिसान की जॉच कर अपीलाण्ट के नाम 1/5 हिस्सा व तरतीवह रेस्पो0 संख्या 7 नेपाली की मां मृतक प्रेम के नाम 1/5 हिस्सा का दर्ज करना था। जिस गलत इंतकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट को विना बुलाये बिना सुने सही नाम की जॉच किये बिना इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

सकाल को पटवारी हल्का ने सरपंच ग्राम पंचायत कठूमर के समक्ष वास्ते स्वीकृत पेश गा। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट के रसानो की सही जॉच किये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलाण्ट व मृतक पुत्री प्रेम के रिसान पुत्र नेपाली का नाम छोड कर भारी कानूनी भूल की है। जो विधि विरुद्व तरीके तस्दीक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने अपीलाण्टस व रेस्पोडेण्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा त्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं त्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर इन्तकाल संख्या 4923 दिनांक 20.12.2018 वाके कठूमर ग्राम पंचायत कठूमर तहसील कठूमर, अलवर निरस्त किये जाने एवं अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

—::आदेश::—

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सहाडी स्वीकृत इंतकाल संख्या 4923 दिनांक 20.12.2018 वाके ग्राम कठूमर ग्राम पंचायत कठूमर को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर